प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.07.2025

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा थाना लिंक रोड पर दिनांक 18.06.2025 को वादी श्री अमित किशोर जैन पुत्र वीरेन्द्र किशोर जैन नि0 बी 166 रामप्रस्था कालोनी थाना लिंकरोड गाजियाबाद की हत्या के प्रयास के अभियोग के में दो अभियुक्त अश्वनी उर्फ दिलावर पुत्र श्योराज नि0 अम्बेडकर नगर भूड , थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर एवं अमित यादव पुत्र चतर पाल नि0 शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये। दोनों अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व मोबाइल फोन के बारे पूछताछ की गई तो दोनों अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन की बरामदगी को मौके पर जाकर बरामद करा देंगे। जिसके क्रम में थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल व मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु दो टीमें गठित की गई। उपरोक्त बरामदगी के क्रम अभियुक्त अमित यादव द्वारा मोटर साइकिल की बरामदगी के समय कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे खाली जगह पर थाना लिंक रोड पुलिस टीम के एक जवान की सर्विस रिवाल्वर को छीनकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अमित यादव के पैर में गोली लग गई जिससे अभियुक्त घायल हो गया तथा इसी क्रम में अभियुक्त अश्वनी उर्फ दिलावर के बताये अनुसार बरामदगी स्थल ब्रजविहार रेलवे फाटक के पास पडे खाली मैदान के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद करते समय मौके का फायदा उठाकर वहां पर पूर्व से रखे अवैध हथियार को निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व घटना से संबंधित 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. अश्वनी उर्फ दिलावर पुत्र श्यौराज नि0 भूड अम्बेडकर नगर, अब्दुल्ला हास्पीटल वाली गली थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर
2. अमित यादव पुत्र चतरपाल नि0 शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब-28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अमित के विरुद्ध थाना कविनगर गाजियाबाद में 02 अभियोग तथा थाना बादलपुर नोएडा में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
अभियुक्त अश्वनी उर्फ दिलावर के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आशीष ठाकुर द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 19.04.2025 को दोस्त के फ्लैट मोहन नगर व दिनांक 11.06.2025 को मुरादनगर के कैफे व दिनांक 21.06.2025 को अपनी बहन के घर डागर विहार में ले जाकर गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल मु0अ0सं0-359/25 धारा 64 बीएनएस व 3/ 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आशीष ठाकुर पुत्र राजू सिंह नि0 सुल्तानपुर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद को ग्राम सुल्तानपुर के मोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आशीष ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी इस लडकी से जान पहचान हो गयी थी, दिनांक 19.04.25 को वादी की पुत्री के साथ मैने अपने दोस्त के फ्लैट मोहन नगर व दिनांक 11.06.25 को मुरादनगर के कैफे व दिनांक 21.06.25 को अपनी बहन के घर डागर विहार में ले गया था, बाद में मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

आशीष ठाकुर पुत्र राजू सिंह नि0 सुल्तानपुर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र कुर्बान उम्र 22 वर्ष निवासी मुगल गार्डन ढोलक वाली गली थाना मसूरी गाजियाबाद को मसूरी अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथी मन्नू, कैफ व बिलाल के साथ मिलकर लूट की योजना बनाकर लूट करने जैसी घटना कारित करने जैसे अपराध कारित किये हैं, जो पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त नासिर पुत्र कुर्बान उम्र 22 वर्ष निवासी मुगल गार्डन ढोलक वाली गली थाना मसूरी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नासिर के विरूद्ध थाना मसूरी पर

1.मु0अ0सं0 196/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी

2. मु0अ0सं0 357/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मसूरी

3. मु0अ0सं0 359/24 धारा 312/313/3 (5) बीएनएस व 4/25 एएक्ट थाना मसूरी

4.मु0अ0सं0 226/24 धारा 309(4)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मसूरी व अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरे पिता द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा- 65(2)/115(2) बीएनएस व 4/5एम पॉक्सो अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.07.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कृष्णा चौक, थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे घर में मेरे 02 पुत्र तथा 01 पुत्री और एक मेरी माँ रहती है। मेरी पत्नी पिछले करीब 10 वर्षो से अलग रहती है। मेरी बेटी 8 वीं क्लास में स्कूल में पढती है। घटना के दिन मैने शराब पी ली थी उसके बाद मै अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आया था, उस समय मेरे दोनो बेटे स्कूल में थे और मेरी माँ भी काम पर गयी हुई थी। बेटी को स्कूल से घर लाने के बाद मैने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 05.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त राधे प्रजापति पुत्र ब्रह्मपाल निवासी धर्मवीर टावर वाली गली अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उक्त अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा-111 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह पिस्टल मेरठ से करीब सात महीने पहले एक व्यक्ति से खरीदी थी जिसका नाम पता मुझे मालूम नहीं है। मैं हत्या के मुकदमे में जनवरी 2015 में जेल गया था तथा करीब आठ महीने पहले जेल से छूटकर आया हूँ, यह पिस्टल मैं जनता में अपना रौब गांठने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राधे प्रजापति पुत्र ब्रह्मपाल निवासी धर्मवीर टावर वाली गली अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या तथा आयुध अधिनियम का 01-01 अभियोग पंजीकृत है तथा अवैध पिस्टल व कारतूस बरामदगी के आधार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम----

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का 08 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी किये गये आभूषण अन्य सामान तथा 1200/- रूपये नगद बरामद।

दिनांक 05.07.2025 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से सोने, अन्य धातु के आभूषण तथा अन्य सामान चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना

क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ रोहित पुत्र स्व0 लालसिंह निवासी हाल पता शिव मन्दिर के पीछे किराए के मकान में कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद व मूल पता ग्राम अजराडा थाना मुडाली जनपद मेरठ उम्र लगभग 25 वर्ष, को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 गले के हार पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 08 कंगन पीली धातु , 01 माथे का टीका पीली धातु , 02 गले की चैन पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु , 02 कान के झुमके पीली धातु , 01 अंगूठी पीली धातु , 02 कान के झुमके पीली धातु, 01 नाक की लौंग पीली धातु तथा 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 01 जोडी पाजेब बच्चे की सफेद धातु, 01 हाथ फूल सफेद धातु, 01 कमर बंद सफेद धातु, 02 जोडी पैर के बिछुए सफेद धातु , 01 पैंडल सफेद धातु, 01 लाल रंग का नग लगी अंगूठी सफेद धातु, 01 सफेद धातु का सिक्का, 01 सिलेंडर तथा 5-6 दिन पूर्व की गयी चोरी की घटना से सम्बन्धित 1200 रूपये नकद बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह सामान मैने कल रात बागू में एक घर में घुसकर चोरी किया था तथा जेब से बरामद पैसों के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि साहब 5-6 दिन पहले एच पी पेट्रोल पंप के पीछे बंद पडे मकान में घुसकर पीतल के थाल और तांबे का जग चोरी किया था जिनको मैने चलते फिरते कबाडी को 4000 रुपये में बेच दिया था जिसमें से बाकी पैसे मैने अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

देवेन्द्र उर्फ रोहित पुत्र स्व0 लालसिंह निवासी हाल पता शिव मन्दिर के पीछे किराए के मकान में कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद व मूल पता ग्राम अजराडा थाना मुडाली जनपद मेरठ उम्र लगभग 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 गले के हार पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 08 कंगन पीली धातु , 01 माथे का टीका पीली धातु , 02 गले की चैन पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु , 02 कान के झुमके पीली धातु , 01 अंगूठी पीली धातु , 02 कान के झुमके पीली धातु, 01 नाक की लौंग पीली धातु तथा 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 01 जोडी पाजेब बच्चे की सफेद धातु, 01 हाथ फूल सफेद धातु, 01 कमर बंद सफेद धातु, 02 जोडी पैर के बिछुए सफेद धातु , 01 पैंडल सफेद धातु, 01 लाल रंग का नग लगी अंगूठी सफेद धातु, 01 सफेद धातु का सिक्का, 01 सिलेंडर तथा 5-6 दिन पूर्व की गयी चोरी की घटना से सम्बन्धित 1200 रूपये नकद बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 05.07.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. आदित्य पुत्र सूरजपाल निवासी मॉडल टाउन धैदा मुरादनगर थाना मुरादनगर उम्र 20 वर्ष 2. आकाश पुत्र अनिल निवासी गांव धैदा मुरादनगर थाना मुरादनगर उम्र 20 वर्ष को रेलवे स्टेशन से ओएफएम की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पेड के नीचे झाडियों से गिरफ्तार किया गया जो मोबाइलों को बेचने की फिराक में थे, इनके कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद किये गये, जिनकी कीमत लगभग 05 लाख रूपये है । उक्त के सम्बंध में थाना मुरादनगर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम दोनों ने गाजियाबाद क्षेत्र में एक फोन साहिबाबाद क्षेत्र से व एक फोन मधुबन बाबूधाम से चोरी किया था। हम लोग चोरी के मुकदमों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। आज भी हम इसी उद्देश्य से निकले थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आदित्य पुत्र सूरजपाल निवासी माडल टाउन धैदा मुरादनगर थाना मुरादनगर, उम्र 20 वर्ष।
2. आकाश पुत्र अनिल निवासी गांव धैदा मुरादनगर थाना मुरादनगर, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के करीब 06 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्त आकाश के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा वादी पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.06.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी श्री अमित किशोर जैन पुत्र वीरेन्द्र किशोर जैन नि0 बी 166 रामप्रस्था कॉलोनी थाना लिंकरोड गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझ पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी जिसमें वादी घायल हो गया। जिसके क्रम में थाना लिंकरोड़ पर हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में धारा - 61,109,232 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु साक्ष्य संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 04 अभियुक्त 1. प्रियांशु तेवतिया पुत्र कृष्ण कुमार निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग गाजियाबाद, 2. अश्वनी उर्फ दिलावर पुत्र श्योराज निवासी अम्बेडकर नगर भूड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर, 3. अमित यादव पुत्र चतर पाल निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद व 4. प्रियांशु गौतम उर्फ यशु पुत्र जितेन्द्र निवासी अम्बेडकर नगर भूड थाना कोतवाली नगर

जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया था, पूर्व से एफआईआर में नामित आरोपी अनुराग गर्ग(वर्तमान में न्यायिक हिरासत में) ने उपरोक्त चारों अभियुक्तों को वादी अमित किशोर जैन की हत्या करने की सुपारी दी थी। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक योजना के तहत अमित किशोर जैन पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। उक्त अभियोग में अभियुक्त प्रियांशु तेवतिया उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा अभियुक्तगण अश्वनी उर्फ दिलावर व अमित यादव उपरोक्त को पूछताछ हेतु थाना लिंकरोड़ पर बुलाया गया था। घटना के संबन्ध में की गयी पूछताछ से अभियोग की घटना की योजना बनाने तथा घटना में शरीक जुर्म रहते हुए घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन की बरामदगी के क्रम में दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि में 02 अभियुक्त अश्वनी उर्फ दिलावर पुत्र श्यौराज व अमित यादव पुत्र चतरपाल को घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व घटना से संबंधित 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया था। इसीक्रम में आज दिनांक 06.07.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त प्रियांशु गौतम उर्फ यशु को मुखबिर की सूचना के आधार पर लाल कुआ से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अनुराग गर्ग ने सन-2013 से 2016 तक लालकुआं से दादरी तक GT रोड के आस पास प्रॉपर्टी का काम किया था। वही पर अमित यादव जो कि ट्रैक्टर से प्लाटों में मिट्टी डालने का काम करता था। उसी दौरान अमित यादव की मुलाकात अनुराग गर्ग से हुई। उसके बाद अनुराग गर्ग 2017 में फर्जी कंपनी चलाने के संबंध में नोएडा जेल चला गया। अनुराग गर्ग जेल से आने के बाद अमित यादव से बीच- बीच में मिलता रहा। अनुराग गर्ग ने अमित यादव को बताया कि अमित जैन ने मेरी पूरी प्रोपर्टी सीज करा दी है। इसीलिए अमित जैन की हत्या करानी है और यह काम तुमको कराना है। मैं तुम्हें मालामाल कर दूँगा और इस काम के भी 05 लाख रूपये दूँगा। अमित यादव लालच में आकर अमित किशोर जैन की हत्या कराने के लिए तैयार हो गया। अमित यादव ने यह बात अपने दोस्त प्रियांशु गौतम उर्फ यशु को बतायी, प्रियांशु गौतम उर्फ यशु ने कहा कि यह काम मैं अपने दोस्त प्रियांशु तेवतिया व चचेरे भाई अश्वनी उर्फ दिलावर से करा दूँगा। प्रियांशु गौतम उर्फ यशु ने मेरी मुलाकात अश्वनी उर्फ दिलावर तथा प्रियांशु तेवतिया से करायी और यह लोग अमित किशोर जैन की हत्या करने के लिए तैयार हो गये। उसके बाद अमित यादव, प्रियांशु गौतम उर्फ यशु, अश्वनी उर्फ दिलावर तथा प्रियांशु तेवतिया को साथ लेकर 15 अप्रैल 2025 को अनुराग गर्ग से मिलाने के लिए आरडीसी लेकर गया था। अनुराग गर्ग ने एक काले रंग का लावा कम्पनी का मोबाइल फोन दिया। जिसमें अमित किशोर जैन की कई तरह की फोटो उसके मकान का पता, मकान की फोटो, उसकी स्कूटी व मोटर साइकिल की फोटो थी और अमित किशोर जैन का मोबाइल नंबर लिखा था। अनुराग गर्ग ने अमित किशोर जैन को मारने के लिए 15 अप्रैल 2025 को ही 50 हजार रुपये एडवांस देकर बाकी रुपये काम होने के बाद देने के लिए कह दिया। जिसे सभी ने आपस में बाँट लिया। अमित यादव तथा प्रियांशु गौतम उर्फ यशु ने अश्वनी उर्फ दिलावर और प्रियांशु तेवतिया को अमित किशोर जैन की फोटो तथा उसके घर का पता बताया जिसके बाद अमित यादव, अश्वनी और प्रियांशु गौतम उर्फ यशु अमित किशोर जैन के मकान बी-166 रामप्रस्था कॉलोनी गाजियाबाद की रैकी करने गये। उस दिन प्रियांशु तेवतिया हमारे साथ नहीं था। उसके बाद अमित यादव, अश्वनी उर्फ दिलावर, प्रियांशु तेवतिया व प्रियांशु उर्फ दिलाबर ने मिल कर अमित किशोर जैन की हत्या करने की योजना बनाई तथा अश्वनी उर्फ दिलावर के साथ प्रियांशु तेवतिया को अमित किशोर के घर की रैकी करने के लिए रामप्रस्था कॉलोनी भेजा, अश्वनी उर्फ दिलाबर ने रैकी करने के बाद बताया कि काम हो जायेगा तथा सभी ने दिनांक 16.06.2025 को अमित किशोर जैन की हत्या करने की योजना तैयार की तथा प्रियांशु तेवतिया व अश्वनी उर्फ दिलावर को एक-एक तमंचा तथा कारतूस दिये तथा पहचान के लिए दिया गया मोबाइल फोन अश्वनी उर्फ दिलावर के पास ही था। योजना के अनुसार अमित यादव, प्रियांशु गौतम उर्फ यशु ने अश्वनी उर्फ दिलाबर व प्रियांशु तेवतिया को अपाचे मोटर साइकिल से अमित किशोर जैन की हत्या करने के लिए रामप्रस्था भेज दिया था। अश्वनी उर्फ दिलावर व प्रियांशु तेवतिया ने आकर बताया कि काम हो गया है तथा तमंचा पकड़े जाने के भय के कारण रास्ते में ही फेंक दिया तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा, मोटर साइकिल व मोबाइल फोन को अलग अलग जगह पर छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रियांशु गौतम उर्फ यशु पुत्र जितेन्द्र निवासी अम्बेडकर नगर भूड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- ❖ गिरफ्तार अभियुक्त प्रियांशु गौतम उर्फ यशु पुत्र जितेन्द्र के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- ❖ अभियुक्त अनुराग गर्ग के विरुद्ध गाजियाबाद, लखनऊ,मेडिकल, कंकरखेडा व थाना दौराला में धोखाधड़ी व कोर्ट के आदेश की अवमानना में भगोड़ा होने आदि से सम्बन्धित कुल 56 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

संक्षिप्त इतिहास अनुराग गर्ग

- ❖ अनुराग गर्ग पुत्र सत्य प्रकाश गर्ग निवासी नेहरू नगर गली नौचंदी जनपद मेरठ का जन्म 1991 में हुआ था दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ से स्कूली शिक्षा हुई उसके उपरांत आईआईटी रुड़की से बीटेक किया उसके उपरांत कुछ दिन तक प्रॉपर्टी डीलर का कार्य किया प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान इसकी जान पहचान संदेश वर्मा रवि रस्तोगी आलोक रस्तोगी अखिलेश चौहान आदि लोगों से हुई उन सभी के साथ पार्टनरशिप करके वेबवर्क प्रा0 लि0 नाम से एक कंपनी संचालित की ।
- ❖ अनुराग गर्ग वेब वर्क ट्रेड लिंक्स (Webwork Trade Links) नामक एक ऑनलाइन कंपनी के निदेशक थे, जिस पर लगभग 2.5 लाख लोगों से ₹500 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप लगा था। यह धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर "लाइक्स" के बदले पैसे देने का लालच देकर की गई थी।
- ❖ उन्हें सुरेश वर्मा के साथ नोएडा पुलिस ने 2017 में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वेब वर्क ट्रेड लिंक्स (Webwork Trade Links) एक ऑनलाइन कंपनी थी जिस पर बड़े पैमाने पर पॉन्ज़ी स्कीम (Ponzi scheme) चलाकर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। यह एक ऐसा धोखाधड़ी वाला निवेश ऑपरेशन था जहाँ पुराने निवेशकों को नए निवेशकों से जमा किए गए धन से भुगतान किया जाता था।

यहाँ इसके बारे में मुख्य बातें दी गई हैं:-

- ❖ क्या था घोटाला? वेब वर्क ट्रेड लिंक्स लोगों को सोशल मीडिया पर वेबसाइटों को "लाइक" करने के बदले पैसे देने का लालच देती थी। इसके लिए लोगों को कंपनी में ₹11,000 से लेकर ₹57,500 तक का निवेश करके "पब्लिशर" बनना पड़ता था। कंपनी प्रति लाइक ₹6 देने का वादा करती थी। यह एक सीधा पॉन्ज़ी स्कीम था जहाँ कंपनी कोई वास्तविक व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान कर रही थी।
- ❖ कितने लोगों पर असर पड़ा? अनुमान है कि इस धोखाधड़ी से लगभग 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और उन्होंने ₹240 करोड़ से अधिक का निवेश किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आंकड़ा ₹500 करोड़ तक भी पहुँच सकता है।
- ❖ संस्थापक और गिरफ्तारी: कंपनी के निदेशक अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा थे। उन्हें फरवरी 2017 में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब कई निवेशकों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
- ❖ अन्य कंपनियों से संबंध: वेब वर्क ट्रेड लिंक्स का modus operandi (कार्यप्रणाली) एक अन्य बड़ी पॉन्ज़ी स्कीम, एबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (Ablaze Info Solutions Private Limited) के समान था, जिसे अनुभव मित्तल चला रहे थे। अनुभव मित्तल की गिरफ्तारी के बाद ही वेब वर्क के खिलाफ भी शिकायतें सामने आने लगीं।
- ❖ जांच और संपत्ति ज़ब्ती: इस मामले की जांच नोएडा पुलिस के बाद सीबीआई (CBI) ने अपने हाथ में ले ली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में कंपनी और उसके निदेशकों की कई संपत्तियों को कुर्क किया है।

- ❖ सेलिब्रिटी का प्रचार: कंपनी ने अपनी एक "शैडो कंपनी" एड्सबुक डॉट कॉम (Addsbook.com) के प्रचार के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस्तेमाल किया था, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ा। हालांकि, इन अभिनेताओं को किसी भी तरह से आरोपी या संदिग्ध नहीं बनाया गया था।
- ❖ कुल मिलाकर, वेब वर्क ट्रेड लिंक्स एक बड़े पैमाने का ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी था जिसने हजारों लोगों को उनके पैसे से ठगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.07.2025 को थाना टीला मोड़ पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त कैफ पुत्र दीन मोहम्मद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना के सम्बन्ध में धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 06.07.2025 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना के आधार पर दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त कैफ पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बडी मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कैफ पुत्र दीन मोहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त कैफ पुत्र दीन मोहम्मद उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने इन्स्टाग्राम पर अपनी आईडी लडकी के नाम से बनायी थी। जिससे मेरी दोस्ती वादी की नाबालिग पुत्री से हो गयी थी। जिसका घर मेरे ताऊ के लडके मोमीन के पास है। जहाँ पर मेरा आना जाना लगा रहता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कैफ पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बडी मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त कैफ पुत्र दीन मोहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।